



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव  
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग धमतरी, जिला-धमतरी, द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल अंतर्गत 25.147 हे. वन भूमि केरेगांव-गट्टासिल्ली- बिरगुड़ी मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के लिये गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार तथा मुख्य वन संरक्षक रायपुर के पत्र दिनांक 31.01.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 27/03/2019

स्थान: अटल नगर, रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़

राज्य मुख्य वन संरक्षक,  
छत्तीसगढ़, रायपुर